न्यायालय उपखण्ड अधिकारी केकड़ी जिला अजमेर (राजस्थान)

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 71/2022(2022/773)

1. भूरा पुत्र श्री देवी जाति गुर्जर निवासी छाबडिया तहसील केकड़ी जिला अजमेर

–प्रार्थी

बनाम

1. प्रवीण मेवाडा पुत्र बंशीलाल मेवाडा जाति कलाल निवासी सरदारगढ, हाल निवासी पंजीकृत भागीदार मेसर्स पी.वी.आर. ग्रेनिटों छाबडिया तहसील केकड़ी जिला अजमेर
2. विष्णु गौड पुत्र श्री प्रेमचन्द गौड जाति ब्राहम्ण निवासी पंचरत्न काम्पलेक्स भीलवाडा रोड कांकरोली जिला राजसमंद, हाल निवासी पंजीकृत भागीदार मेसर्स पी.वी.आर. ग्रेनिटों छाबडिया तहसील केकड़ी जिला अजमेर
3. बीनू प्रजापत पत्नि श्री राजेश प्रजापत जाति कुम्हार निवासी 4/10 देवनिवास भीलवाडा, हाल निवासी पंजीकृत भागीदार मेसर्स पी.वी.आर. ग्रेनिटों छाबडिया तहसील केकड़ी जिला अजमेर
4. मांगीलाल पुत्र श्री सत्यनारायण जाति रेगर निवासी बालापुरा (मेहरुकलां) तहसील सावर जिला अजमेर।
5. ब्रजराज सिंह पुत्र शिवगोपाल सिंह जाति राजपूत जरिये पार्टनर मेसर्स श्रीलक्ष्मी ग्रेनाईट निवासी मकान नम्बर ए 12 आर.के.कॉलोनी भीलवाडा
6. मोहम्मद सुलेमान पुत्र श्री जगदीश चन्द्र यादव जाति यादव निवासी 14 जवाहर नगर श्रीगर्ल्स रेजीमेन्ट के पीछे इन्द्रपुरा कोटा जरिये पार्टनर मेसर्स श्रीलक्ष्मी ग्रेनाईट निवासी मकान नम्बर ए 12 आर.के.कॉलोनी भीलवाडा
7. विवेक ओझा पुत्र श्री नरेन्द्र कुमार ओझा जाति ओझा निवासी म.न. बी 367 आर.के. कॉलोनी भीलवाडा जरिये पार्टनर मेसर्स श्रीलक्ष्मी ग्रेनाईट निवासी मकान नम्बर ए 12 आर.के.कॉलोनी भीलवाडा
8. सुदर्शन राठौड पुत्र मनमत सिंह राठौड जाति राठौड निवासी सुखसागर भवन भिनाय मार्ग शिखरानी तहसील मसूदा जरिये पार्टनर मेसर्स श्रीलक्ष्मी ग्रेनाईट निवासी मकान नम्बर ए 12 आर.के.कॉलोनी भीलवाडा
9. ओमप्रकाश पुत्र भोजा जाति गुर्जर
10. मांगी देवी पत्नि श्री गोपाल लाल जाति गुर्जर
11. सत्यनारायण पुत्र श्री भोजा जाति गुर्जर
    निवासीगण ग्राम एकलसिंहा तहसील केकड़ी जिला अजमेर
12. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार केकड़ी, तहसील कार्यालय केकड़ी जिला अजमेर राजस्थान

––अप्रार्थीगण

उपस्थितः–

श्री शिवप्रसाद पाराशर – वकील प्रार्थी
पैरोकार सरकार(जरीये तहसीलदार केकडी) – अप्रार्थी

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 251ए, राज. काश्तकारी अधिनियम

–:निर्णयः–

दिनांक 09.02.2023

पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251(क) राज. काश्तकारी अधिनियम के तहत पेश किया। प्रकरण के संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थी की प्रार्थनापत्र में वर्णित आराजी वाके ग्राम छाबडिया तहसील केकड़ी जिला अजमेर में स्थित है जिसका विवरण निम्न प्रकार है।

उपखण्ड अधिकारी
केकडी (अजमेर)

Scanned with OKEN Scanner

खाता संख्या नया–पुराना	खसरा नम्बर	रकबा	किस्म
218–217	1842/629 1843/628	1.60 0.07	बारानी 1 बारानी दोयम
	किता 2	रकबा 1.67 हैक्टर	

उक्त वर्णित आराजीयात राजस्व रिकॉर्ड में प्रार्थी के नाम बतौर खातेदार काश्तकार दर्ज है जिस पर एकमात्र प्रार्थी का ही कब्जा स्वामित्व आधिपत्य चला आ रहा है। प्रार्थी की आराजीयात में आवागमन हेतु कदीमी रास्ता आराजी खसरा नम्बर 608, 609 व 610 की पूर्वी मेड से होता हुआ खसरा नम्बर 1841/628 की दक्षिण मेड से होकर है जिसका उपयोग उपभोग प्रार्थी कदीम से करता चला आ रहा है। इसके अतिरिक्त प्रार्थी की आराजी में आने जाने का अन्य कोई रास्ता नही है। यह रास्ते की भूमि है जिस पर प्रतिवादीगण का किसी प्रकार से वास्ता सरोकार नही है। अप्रार्थीगण 1 लगायत 11 ने प्रार्थी की आराजीयात में आने–जाने के एकमात्र रास्ते की भूमि पर काश्त करके अवरूद्ध कर दिया है जिससे प्रार्थी को अपनी आराजी में आवागमन नही कर पा रहे है एवं प्रार्थी की आराजीयात को काश्त करने में व्यवधान उत्पन्न हो रहा है। प्रार्थी जब अपनी खातेदारी की आराजीयात में उक्त कदीमी रास्ते से काश्त करने गये तो अप्रार्थीगण 1 लगायत 11 उक्त कदीमी रास्ते के उपयोग उपभोग हेतु मना कर दिया तथा लाडाई–झगडा करने पर आमादा हो गये। यदि प्रार्थी अपनी आराजीयात को काश्त नही कर सकेगा तो अपने खातेदारी अधिकारों से वंछित हो जायेगा, जिससे यह प्रार्थनापत्र पेश करना लाजमी आया है। अतः प्रार्थी का प्रार्थनापत्र स्वीकार फरमाया जाकर प्रार्थी की आराजीयात में आने जाने हेतु खसरा नम्बर 608, 609 व 610 की पूर्वी मेड से होता हुआ खसरा नम्बर 1841/628 की दक्षिण मेड़ में से तीस फुट का रास्ता दिया जाकर राजस्व रिकॉर्ड में तरमीम किये जाने का निवेदन किया गया है जिसके लिए प्रार्थी नियमानुसार शुल्क जमा कराने हेतु तत्पर है।

प्रकरण श्रवणाधिकार एंव क्षैत्राधिकार का होने से दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण 4 लगायत 11 ने जरिये अधिवक्ताओं के जवाब प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया। सरकार जरिये तहसीलदार केकड़ी द्वारा जवाब सरकार/मौका रिपोर्ट प्रस्तुत की गई। प्राप्त सभी जवाब प्रार्थनापत्रों तथा मौका रिपोर्ट को शामिल पत्रावली किया गया। विस्तृत विवरण निम्नानुसार है –

अप्रार्थीगण 4 लगायत 11 ने प्रार्थी के प्रार्थनापत्र में वर्णित अधिकांश तथ्यों को गलत, मिथ्या एवं मनगढंत होने से अस्वीकार किया जाकर निवेदन किया है कि प्रार्थी की आाराजीयात में आवागमन हेतु प्रतिवादीगण की आराजी से कभी किसी प्रकार का रास्ता नही रहा है। प्रार्थी ग्राम मेवदाकलां से गै0मु0 रास्ता खसरा नम्बर 1909/778 एवं खसरा नम्बर 1915/785 में से होते हुए सरकारी भूमि खसरा नम्बर 623, 622, 624 में से होते हुए अपनी आराजी खसरा नम्बर 1842/629 व 1843/628 में आता जाता रहा है। प्रार्थी की आराजीयात के मूल खसरा नम्बर 628 व 629 है जिनके पूर्व खातेदारान का निधन हो जाने के कारण प्रार्थी व अन्य सहखातेदारान के नाम अंकन हुए है। उक्त सम्पूर्ण आराजीयात गै0मु0 रास्ता खसरा नम्बर 1909/778 एवं खसरा नम्बर 1915/785 तथा सरकारी भूमि खसरा नम्बर 623, 622, 624 के लगवा स्थित है एवं प्रार्थी तथा अन्य सहखातेदारान उक्त रास्ते से ही आ जा रहे है। अतः जवाब प्रार्थनापत्र स्वीकार फरमाया जाकर प्रार्थी का प्रार्थनापत्र मय हर्जे खर्चे के खारिज किये जाने का निवेदन किया गया है।

उपखण्ड अधिकारी
केकडी (अजमेर)

तहसीलदार केकड़ी से प्राप्त मोका रिपोर्ट / जवाब सरकार निम्नानुसार है–

1. प्रार्थनापत्र मे अंकित ग्राम छाबडिया के खसरा नम्बर 1842/629, 1843/628 प्रार्थी की खातेदारी एवं कब्जा काश्त की भूमि है।
2. प्रार्थी के खेत से निकटतम दूरी से स्वीकृत रास्ता खसरा नम्बर 1836/610 एकलसिंहा से छाबडिया खेडा ग्रामीण मार्ग निकलता है।
3. वर्तमान में प्रार्थी खातेदार भूमि पर खसरा नंबर 1836/610 किस्म गै0मु0 रास्ता से खसरा नम्बर 610, 609, 68, 1841/628, 1843/628 से होकर आवागमन सुविधाजनक रहेगा।
4. उपरोक्तानुसार रास्ते के अलावा मौका स्थिति अनुसार नजदीकी एवं सुविधाजनक अन्य रास्ता नही दिया जा सकता।
5. प्रस्तावित रास्ते हेतु खसरा नम्बर 610 में से 48 वर्ग मीटर, खसरा नम्बर 609 में से 84 वर्गमीटर, खसरा नम्बर 608 में से 516 वर्गमीटर, खसरा नम्बर 1841/628 में से 48 वर्गमीटर, खसरा नम्बर 1843 में से 180 वर्गमीटर कुल 876 वर्गमीटर क्षेत्रफल बनता है जिसकी वर्तमान डीएलसी दर 236695/– प्रति हैक्टर के दोगुने से पतिकर राशि 44310/– रूपये बनते है।
6. प्रस्तावित रास्ता का नक्शा ट्रेस संलग्न है।

वरवक्त सुनवाई पक्षकारान के अधिवक्ता को सुना गया। अप्रार्थीगण के अधिवक्ता ने अपने जवाब प्रार्थनापत्र के तथ्यों का वर्णन किया एवं प्रार्थी के प्रार्थनापत्र को खारिज किये जाने का निवेदन किया। प्रार्थी अधिवक्ता ने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराया तथा उपलब्ध मौका रिपोर्ट में प्रस्तावित रास्ता अनुसार प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार करने हेतु निवेदन किया।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा वक्त सुनवाई बताये गये तथ्यों एंव मोका रिपोर्ट पर गहनता से मनन किया। प्रार्थी की खातेदारी आराजी में आवागमन हेतु मौका रिपोर्ट में प्रस्तावित किया गया रास्ता ही उपर्युक्त प्रतीत होता है। तहसीलदार केकड़ी द्वारा प्रस्तावित ग्राम छाबडिया के खसरा नंबर 610 में से 48 वर्ग मीटर, खसरा नम्बर 609 में से 84 वर्गमीटर, खसरा नम्बर 608 में से 516 वर्गमीटर, खसरा नम्बर 1841/628 में से 48 वर्गमीटर, खसरा नम्बर 1843 में से 180 वर्गमीटर कुल 876 वर्गमीटर जिसकी वर्तमान डीएलसी दर के दौगुना से प्रतिकर राशि 44310/– (चोंवालिस हजार तीन सौ दस) रूपये बनते है। अतः उक्त राशि जमा कराने पर मौका रिपोर्ट एवं नक्शा ट्रेस में प्रस्तावित रास्ता को सिवायचक सार्वजनिक गै.मु.रास्ता दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते है। तहसीलदार केकडी उक्त राशि प्रार्थी से वसूल कर अप्रार्थीगण को जर्ये सूचना पत्र जारी कर दिलवायी जावे। अप्रार्थीगण द्वारा राशि नही लिये जाने पर उक्त राशि नियमानुसार राजकोष में जमा करवायी जाकर ग्राम मौके रिपोर्ट एवं नक्शा ट्रेस में प्रस्तावित अनुसार रास्ता सिवायचक सार्वजनिक गै.मु.रास्ता के रूप में दर्ज एंव तरमीम की कार्यवाही करे। खर्चा फरिकेन अपना–अपना वहन करे।

आदेस खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(विकास पचोली)
उपखण्ड अधिकारी
केकड़ी (अजमेर)